अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग (शासन स्तर)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन 1995 में किया गया था। यह विभाग विधान सभा मार्ग उत्तर प्रदेश सचिवालय में (बापू भवन) में स्थित है।

कार्य दिवस :– सोमवार से शुक्रवार (अवकाश दिवस को छोड़कर)
कार्यालय समय :– 9.30 बजे से 06.00 बजे तक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित 16 सूचनाओं की श्रेणियों के संबंध में विवरण।

बिन्दु–(1) लोक प्राधिकरण की विशिष्टियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

(अ) विशिष्टिया
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विशिष्टियां निम्न प्रकार है

1. अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनके विशिष्टि सूचनाओं का निराकरण करने एवं उनकी शैक्षिक सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से संबंधित कार्य
2. अल्पसंख्यक समुदाय के वर्गों का मूल्यांकन मानकों का निर्धारण आदि विषयों पर प्रशकीय विभाग या उच्च स्तर से प्राप्त प्रस्तावों पर परीक्षण कर कार्य अध्ययन किया जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय एवं उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत विभागाध्यक्षों का भी कार्य अध्ययन किया जाता है।
3. कार्यालयों का अल्पसंख्यक विभाग के दृष्टिकोण से निरीक्षण।

(ब) कृत एवं कर्तव्य

1. निदेशालय के स्तर के कियान्वयन संबंधी कार्य।
2. निदेशालय स्तर का अधिष्ठान तथा बजट संबंधी कार्य।
3. राजकीय कार्यालय मण्डल/जिले स्तर का अधिष्ठान तथा बजट संबंधी कार्य।
4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के वर्गों को लाभान्वित किये जाने संबंधी राज्य स्तर तथा केन्द्र स्तर से संचालित योजनाओं के अनुश्रवण संबंधी कार्य।
5. अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यरत विभागाध्यक्षों के अधिष्ठान तथा बजट संबंधी कार्य

(स) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार।

प्रमुख सचिव
1
विशेष सचिव

1

उप सचिव

1

अधीनस्थ स्टाफ

(द) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 04 अनुभाग हैं, जिनको आवंटित कार्य निम्न प्रकार हैः–

<u>अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग–1</u>

1– अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उसके अधीनस्थ मण्डलीय कार्यालय तथा जिला स्तरीय कार्यालयों से सम्बन्धित अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।

2– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित विधान सभा तथा विधान परिषद एंव सांसदों के प्रश्न।

3– वेतन आयोग सम्बन्धी कार्य का समन्वय।

4– सतर्कता आयोग से प्राप्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी मामलों का समन्वय।

5– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण सम्बंधी कार्य।

6– अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लेखा परीक्षण आख्या एंव लोक लेखा समिति की आख्यायें।

7– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा विषयक मामले।

8– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों एवं संस्थाओं में टेलीफोन की व्यवस्था।

9– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए भवन किराये पर लेना।

10– वाहनों के कय,उनके अनुरक्षण तथा पेट्रोल की व्यवस्था।

11– राज्याधीन सेवाओं/भर्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडे वर्ग/अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों का चयन।

12– अल्पसख्यक कल्याण एंव मुस्लिम वक्फ विभाग में अधिकारियों के लिए सचिवालय प्रवेश पत्र।

13– अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे 15–सूत्री कार्यकम का अनुश्रवण एंव तत्सम्बंधी कार्य।

14– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अर्न्तगत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।

15– मल्टी सेक्टोरल स्कीम आफ गवर्नमेंट आफ इण्डिया/केन्द्र पूरोनिर्धारित छात्रवृत्ति योजना सम्बंधी समस्त कार्य।

<u>अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग–2</u>

1– मुस्लिम वक्फ अधिनियम, नियम–मुस्लिम अवका से सम्बन्धित समस्त मामले।

2– मुस्लिम अवकाफ सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य।

3– वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश का अधिष्ठान।

4– आय–व्ययक अनुमान –

(1)– अवकाफ सर्वेक्षण

(2)– अवध वसीका पेंशन, अवध वसीका पर ब्याज।

(3)– वसीका कार्यालय, लखनऊ/एजेन्सी कार्यालय वाराणसी।

5– उपर्युक्त आय–व्ययक सम्बन्धी विनियोग लेखा (आडिट रिपोर्ट)।

6– सुन्नी/शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश का कार्य तथा उनका विवरण।